



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 341 राँची, बुधवार, 16 आषाढ़, 1943 (श०)
7 जुलाई, 2021 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

7 जुलाई, 2021

संख्या-एल०जी०-05/2011-36/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-30/06/2021 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 (झारखण्ड अधिनियम संख्या-05, 2021)

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (झारखण्ड में एस० ओ० संख्या 117 दिनांक 15.12.2000 द्वारा अंगीकृत) में संशोधन हेतु विधेयक ।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के बहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ-
 - (1) यह अधिनियम झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा ।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. धारा 3 में संशोधन-

धारा 3 की उपधारा (1) के पश्चात् एक परन्तुक को निम्नवत् जोड़ा जायेगा -

"परन्तु यह और कि, सरकार, अधिसूचना के द्वारा, इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के किसी भी शुल्क वर्ग अथवा शुल्क दर में कुछ जोड़ या विलोपन या संशोधन/परिवर्तन कर सकती है।"

3. अधिनियम के साथ संलग्न विद्युत शुल्क की अनुसूची (विद्युत शुल्क दर) में संशोधन-

उक्त अधिनियम के साथ संलग्न विद्युत शुल्क की अनुसूची (विद्युत शुल्क दर) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अनुसूची

(धारा 3 देखें)

क्र० सं०	शुल्क वर्ग	खण्ड	विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर नेट शुल्क दर प्रतिशत में
1	घरेलु/ गैर घरेलु एल०टी०/ घरेलु एच०टी० /अस्थाई आपूर्ति/ विज्ञापन/ धार्मिक स्थान/प्रार्थना कक्ष/अन्य प्रकार के आपूर्ति जो किसी भी वर्ग के अंतर्गत नहीं है।		6%
2	औद्योगिक एच०टी०/ खनन/ घरेलु एच०टी० को छोड़ कर अन्य प्रकार के एच०टी० संपर्क /वाणिज्यिक एच०टी०	10 एमवीए तक	8%
		10 एमवीए से ऊपर	15%
3	सिंचाई एवं कृषि		कर मुक्त

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

7 जुलाई, 2021

संख्या-एल०जी०-05/2011-37/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक- 30/06/2021 को अनुमत झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021

(Jharkhand Act - 05, 2021)

An Act to amend the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (as adopted in Jharkhand vide S.O. No. 117 dated 15.12.2000).

Be it enacted in the Seventy two year of the Republic of India by the State legislature in the following manner:-

1. Short title, extent and commencement –

- (1) This Act may be called the Jharkhand Electricity Duty (Amendment) Act, 2021.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force with effect from date of its publication in the official gazette.

2. Amendment in Section 3

After sub-section (1) of Section 3, a proviso shall be added in the following manner-

“Provided further that, the Government may, by notification, add to or amend or alter any of the categories or rates in the Schedule appended to this Act.”

3. Amendment in the Electricity Duty Schedule (Rate of Electricity Duty) appended to the Act.

The Electricity Duty Schedule (Rate of Electricity Duty) appended to the Act shall be substituted in the following manner:-

The Schedule

(See Section 3)

Sl. No.	Tariff Category	Slabs	Rate in percentum of net charges for energy consumed or sold
1	Domestic/Non Domestic LT/ Domestic HT/ Temporary Supply/ Advertisement/ Religious places/Prayer Establishments /Any category of consumption not falling under any categories.		6%

2	Industrial HT/Mining/Any type of HT connection excluding Domestic HT /Commercial HT	Up to 10 MVA	8%
		Above 10 MVA	15%
3	Irrigation & Agriculture		Exempted

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
